मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन क्रमांक 07/परीक्षा/2008/29.12.2008

आयोग कार्यालय में आवेदन
पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 05.02.2009

एक- भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के स्थायी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित एवं बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु संयुक्त रूप से निम्नानुसार दर्शाए रिक्त पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

स. क्र.	पद का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				(स) अ में बताई गई रिक्तियों में से विकलांगों के लिये आरक्षित पद	कुल	वेतनमान	आयुसीमा न्यूनतम/अधिकतम		न्यूनतम अर्हता
		अना-रक्षित	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना-रक्षित	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग				न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	100	32	40	28	30	10	12	08	02 अनारक्षित (अस्थिबाधित) + 01 अनुसूचित जनजाति (अस्थिबाधित) + 01 अनुसूचित जाति (अस्थिबाधित) = 04	200	5500-175-9000/-	24	30 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष और प्रथम श्रेणी वाले या बार में दो वर्ष व्यवसाय वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जावेगी। A degree in LAW from any recognized University or equivalent and persons Possessing first division, or 2 years practice at Bar, or Higher Qualification shall be preferred.

महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलत किए जाने अथवा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

दो- विज्ञापित पदों के संबंध में अनिवार्य अर्हताएं एवं समस्त जानकारी तालिका में पदों के समक्ष अंकित की गई हैं। आवेदक कृपया तालिका का सूक्ष्म परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि वह पदों के लिए आवश्यक अर्हता आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जाएगा।

तीन- आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम (विभाग सहित) बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखें। शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। उपर्युक्त पद स्थायी हैं

चार- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

पांच- चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी।

छः- किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

सात- उम्मीदवार नियुक्ति के लिये तभी पात्र होगा, जबकि शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 में दिनांक 10.3.2000 को किये गये संशोधन के अनुसार-
अ. पुरुष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित नहीं हो।
ब. 26 जनवरी 2001 के बाद उम्मीदवार की तीसरी संतान न हो।

आठ- आयुसीमा- न्यूनतम एवं अधिकतम आयुसीमा तालिका में पद के समक्ष अंकित किये अनुसार निर्धारित है। मध्यप्रदेश शासन के स्थाई, अस्थाई, वर्क, चार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा राज्य के निगम, मण्डल, मण्डल परिषद्, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत **समस्त श्रेणी** के कर्मचारी (महिला कर्मचारी भी) के लिए अधिकतम आयुसीमा 38 वर्ष निर्धारित है। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें) ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट 1 (एक) में अंकित किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा, परन्तु परिशिष्ट 1 (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट में से अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

नौ- आयुसीमा की गणना 1 जनवरी 2009 के आधार पर की जायेगी। उच्चतम आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट 01 देखें तथा अन्य जानकारियों एवं निर्देशों के लिये परिशिष्ट-02 देखें।

दस- प्रवेश पत्र- आयोग उन सभी आवेदकों को, जिनके भरे हुए आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि तक समय सीमा में पहुंच जायेंगे, साधारण डाक से प्रवेश पत्र भेजा जावेगा। यदि लिखित परीक्षा के दिनांक से 15 दिवस पूर्व तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके तत्काल पश्चात् आयोग कार्यालय से संपर्क करें। आयोग कार्यालय से उन्हें उनका परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति दी जायेगी, यह सुविधा परीक्षा दिनांक से 7 दिवस पूर्व तक दी जावेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदकों को, जिन्होंने अंतिम तिथि तक भरे हुए आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचा दिये हैं, किसी भी कारण से निरस्त न हुए हों तो उन्हें आयोग द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने की पात्रता होवेगी। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के नाम नामिनल रोल नं. में सम्मिलित नहीं होंगे। यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल नं. में सम्मिलित है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर नया प्रवेश पत्र बनवा सकता है। केन्द्राध्यक्ष नामिनल रोल नं. में नाम नहीं होने पर किसी भी आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट तीन में संलग्न है। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुणा के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों को अंकों में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और उनके लिये लिखित परीक्षा में कम से कम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा में अर्ह आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जाएगा साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
चयन के लिए **लिखित परीक्षा दिनांक 26.04.2009** को आयोजित की जाएगी। प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जावेगी। अर्हता धारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया जाएगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

बारह- परीक्षा केन्द्र- लिखित परीक्षा भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र ले जाना वर्जित है।

तेरह- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

चौदह- आवेदक हेतु विस्तृत जानकारी निम्नानुसार दी गई है :-
1. आयु सीमा की छूटें : परिशिष्ट- एक
2. आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारियों हेतु : परिशिष्ट- दो
3. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु : परिशिष्ट- तीन

सचिव

परिशिष्ट - 1

(एक) -उच्चतम आयुसीमा में छूटें-

1. भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
2. महिला अभ्यार्थियों के लिये आयुसीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट।
3. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक हेतु आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट।
   टीप- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये।
4. निःशक्तजन अभ्यार्थियों के लिये आयुसीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट। निःशक्तजनों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।
5. स्वयं सेवी नगर सैनिकों/वालंटरी होमगार्ड एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि की अधिकतम छूट 08 वर्ष तक दी जाएगी। किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक अर्थात 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
   स्पष्टीकरण-
   छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।
7. ऐसा अभ्यार्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें-

दो- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ./84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयुसीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(3) अन्तर्जातिय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन आने वाले दंपत्तियों में से उच्चतर जाति के पति या पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयुसीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

टीप- (i) परिशिष्ट 1 (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिन्दु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

(ii) परिशिष्ट 1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयुसीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट 1 (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

(iii) उपरोक्त 1 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट - 2
आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश/जानकारी

1. **आवेदन पत्र**

1. रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित आवेदन पत्र (प्रपत्र - एक) पर ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को ही प्रमाणिक एवं अंतिम माना जाएगा एवं इन प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

2. आवेदन पत्र की छायाप्रति या टंकित प्रति या हाथ से नकल किया गया आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जायेगा। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा। **रोज़गार और निर्माण** में जो आवेदन पत्र क्रमांक दिया गया है उसे सावधानीपूर्वक आवेदन पत्र के दूसरे पृष्ठ में सबसे ऊपर दिये गये बॉक्स में स्पष्टतः उल्लेख करें।

3. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा।

4. एक लिफाफा में एक ही आवेदन पत्र रखा जाये।

5. आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

6. संख्या लिखने में अंतर्राष्ट्रीय अंकों यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें।

7. आवेदक अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं के पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकायें **(फोटो के पीछे अपना नाम तथा आवेदन पत्र क्रमांक अनिवार्यतः अंकित करें)**। फोटो एवं आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

8. आवेदन के साथ स्वयं का पता तथा पांच रुपये के टिकिट लगा एक लिफाफा 32 x 14 से.मी. आकार के तथा रुपये 6/- का टिकिट लगा एक पोस्ट कार्ड अवश्य संलग्न करें, जिस पर उन्हें आवेदन पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जायेगी।

9. आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदक, उसका पूरा नाम तथा पता जैसा उसने आवेदन पत्र में लिखा है, सुस्पष्ट लिखें।

2. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क-

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग की श्रेणी में आते हैं, के लिये आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- (कुल रुपये 90/-) देय होंगे।

(ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर निवासी आवेदक के लिये आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- (कुल रुपये 180/-) देय होंगे।

उपरोक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, **सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर** के नाम से बनाकर भेजें। यह बैंक ड्राफ्ट यथासंभव भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा (जी.पी.ओ.) इन्दौर पर देय होना चाहिये। आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, पता तथा आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

अत्यंत आवश्यक- बैंक ड्राफ्ट भेजने के पहले उसका भलीभांति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

टीप- आयोग को प्राप्त आवेदन शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापस किया जा सकेगा-

I यदि आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन निरस्त हो जाये, अथवा

II यदि किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट लौटाये नहीं जायेंगे इसलिये आवेदकों के लिये सुझाव है कि अन्तिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाए काफी पहले आवेदन पत्र भेजना उनके हित में होगा।

3. आवेदन की अंतिम तिथि-

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 05.02.2009** है। अंतिम तिथि को सायंकाल 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। आयोग कार्यालय के काउंटर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) में प्रत्येक कार्य दिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी। डाक/कोरियर से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए माने जायेंगे। डाक/कोरियर में विलम्ब/गुम होने/कटने-फटने अथवा नष्ट होने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे।

आवेदन पत्र भेजने का पता-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी क्षेत्र,
इन्दौर - 452001

नोट- यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/अंक सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजी जानी चाहिये। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न न पाये जाने पर आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और उसके संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के समय समस्त मूल प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंक सूची/प्रमाण पत्र **जिनमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।**

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र-

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की अंकसूचियों की छायाप्रतियां जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।

जाति के प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिये अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण पत्र (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय जाति का स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय जाति का स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा इस संबंध में आवेदक का कोई वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदिकाएं अपनी जाति प्रमाणन हेतु पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप पति के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।** प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट 1 की कंडिका - (एक) (3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट 1 की कंडिका - (एक) 4 से 7 तक के आवेदकों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट - 1 की कंडिका (दो) (1) के अंतर्गत उच्चतम आयुसीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-1 की कंडिका (दो) (2) के अंतर्गत आयुसीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका - (दो) (3) के अंतर्गत आयुसीमा में छूट के लिये अन्तर्जातिय विवाह का प्रमाण पत्र।

5. नियोक्ता की अनापत्ति-

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हों या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन पत्र को समयबाधित (Time Barred) माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह परिवचन (Under taking) (जैसा कि आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त पद के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6. अनर्हताएं- ऐसे आवेदक को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या
2. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
6. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
7. साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-
(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से
(ii) राज्य शासन द्वारा या/तथा उनके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा।

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी। परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि
(i) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।

महत्वपूर्ण- (i) अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट क्रमानुसार किया जायेगा।
(ii) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

यात्रा व्यय का भुगतान

(अ) लिखित परीक्षा के लिए मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग श्रेणी के आवेदक हों तथा किसी भी सेवा में न हों, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने पर मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान (मध्यप्रदेश की सीमा तक), वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिए केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भर कर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा-पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(ब) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त वर्ग के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

सचिव

परिशिष्ट - 3
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2008
परीक्षा योजना

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के स्वीकृत 200 पदों की भर्ती की जाने हेतु निम्नानुसार परीक्षा योजना प्रस्तावित है-

लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के 200 पदों पर चयन के लिये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किए जायेंगे तथा अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा के लिए 2-2 घंटे की अवधि के 2 प्रश्नपत्र होंगे जिनमें प्रत्येक में 150-150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के दो अंक निर्धारित हैं। सही उत्तर हेतु 2 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2008
पाठ्यक्रम
प्रथम प्रश्न पत्र

1. भारतीय संवैधानिक विधि
Constitutional Law of India
2. भारतीय संविदा अधिनियम-1872
Indian Contract Act-1872
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम-1882
Transfer of Property Act-1882
4. व्यवहार प्रक्रिया संहिता-1908
Code of Civil Procedure-1908
5. दृस्कृत विधि
Law of torts
6. सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट-2000
Information Technology Act-2000
7. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005
Protection of women from Domestic Violence Act-2005
8. सूचना का अधिकार एक्ट-2005
Right to information Act-2005

द्वितीय प्रश्न पत्र

1. भारतीय दण्ड संहिता-1860
Indian Penal Code-1860
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973
Criminal Procedure Code-1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872
Indian Evidence Act-1872
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम-1989
Schedule Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities Act-1989)
5. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम-1972
Wild Life Protection Act-1972
6. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954
Prevention of Food Adulteration Act-1954
7. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988
Prevention of Corruption Act-1988
8. शस्त्र अधिनियम-1959
Arms Act-1959
9. मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम-1985 सम्पूर्ण
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act-1985
10. भारतीय विद्युत अधिनियम-2003
Indian Electric Act-2003
11. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 सम्पूर्ण
M.P. Excise Act-1915

जी-22478/4918/2008